

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-उमर दीन खान,  
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :-00031/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

—बनाम—

सतेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी उदावास, पुलिस थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

- सरकार की ओर से :-श्री सहायक लोक अभियोजक ( प्रथम ) उपस्थित।
- गैरसायल की ओर से :- श्री दीपेन्द्र सिंह, अनुपस्थित

—निर्णय—

दिनांक 11.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 23.12.2020 को गैरसायल सतेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी उदावास, पुलिस थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि सतेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी उदावास, पुलिस थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से ग्राम उदावास व आस- पास के लोगों को भयभीत व आतंकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है जो अवैध शराब बेचने व चोरी करने का आदि है। जिससे युवा पीढ़ी में चोरी करने व नशे की लत होने का भय है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता है तथा ना ही कोई गवाही देने को तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये हैं। इसके जिले की सीमाओं में रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति में गैरसायल सतेन्द्र की आपराधिक गतिविधियों को लगाम रखने के लिए जिला निष्कासन किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- अभियोग संख्या 79/2009 दिनांक 01.07.2009 धारा 143, 341, 323, 324, 382 भादस थाना सदर झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 69 दिनांक 31.07.2009 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 1000 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- अभियोग संख्या 73/2017 दिनांक 31.03.2017 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 28 दिनांक 31.03.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 800 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त सतेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी उदावास, पुलिस थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा गैरसायल को अपना पक्ष मय सबूतों के रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। गैरसायल ने बावजूद इसके अपने बचाव में न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया। गैरसायल के विरुद्ध जबाब बन्द कर एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर झुंझुनू जिला झुंझुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 79/2009 दिनांक 01.07.2009 धारा 143, 341, 323, 324, 382 भादस थाना सदर झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 69 दिनांक 31.07.2009 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 1000 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 73/2017 दिनांक 31.03.2017 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 28 दिनांक 31.03.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 800 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी-1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर झुंझुनू जिला झुंझुनू में अभियोग संख्या 79/2009 दिनांक 01.07.2009 धारा 143, 341, 323, 324, 382 भादस, अभियोग संख्या 73/2017 दिनांक 31.03.2017 धारा 19/54 राज0 आबाकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल सतेन्द्र को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत कमशः 1000 रुपये, 800 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल सतेन्द्र राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल को अपना पक्ष मय सबूतों के रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। गैरसायल ने बावजूद इसके अपने बचाव में न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया। गैरसायल के विरुद्ध जबाब बन्द कर एकपक्षीय सुनवाई की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (11) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः सतेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी उदावास, पुलिस थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (11) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली सीकर क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली सीकर इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना सदर झुंझुनू, जिला झुंझुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 11.10.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उमर दीन खान )  
जिजिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू  
झुंझुनू

11/10/21